headquarters will be provided with telephone facility.

Statement

District-wise details where telephone facilities have not been provided.

Sl. No.	Name of District	No. of blocks not provided with telephone facility
1.	Arrah	4
2.	Bhagalpur	1
3.	Chhapra	2
4.	Darbhanga	5
5.	Dumka	5
6.	Dhanbad	2
7.	Gaya	5
8.	Hazaribagh	3
9	Jamshedpur	4
10.	Katihar	1
11.	Muzaffarpur	9
12.	Munger	
13.	Motihari	2
14.	Patna	2
15.	Ranchi	15
16.	Sasaram	3
17.	Saharsa	7
	TOTAL	70

Construction of Bridge on NH-21 in Himachal Pradesh

1246. SHRI SUSHIL BARONGPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have taken any final decision with regard to construction of bridge (ncer Manali) and broadening and improvement of NH-21 between Kullu and Manali;

(b) if so, the time fixed for commencing the work; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) Construction of a major bridge across river Beas near Manali is at investigation stage. Improvement work of NH-21 between Kullu and Manali is in progress. There is no proposal of widening this section of National Highway from single lane to 2 lane at present.

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अन्तर्राज्यीय जनमार्ग प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन

1247. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अंतर्राज्यीय जल परिवहन निगम सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है;

(ख) यदि हा, तो इन संस्थानों का कब गठन किया गया था, इनका वार्षिक बजट कितना है और उन्हें क्या-क्या दायित्व सौंपे गए थे;

(ग) क्या इन संस्थानों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए गए दायित्वों को पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक संस्थान को सौंपे गए दायित्वों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰ जी॰ वेंकटरामन): (क) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम, 82) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आता है।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, 1996 में की गई थी। वर्ष 1996-97 के लिए बजट प्राक्कलन 16.65 करोड़ रु॰ है। प्राधिकरण के मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰ 1967 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1996-97 में इसके लिए 12.60 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है। यह निगम निम्नलिखित कार्य करता है:—

(I) कलकत्ता-बंगलादेश-असम, फरक्का, हल्दिया, पटना के बीच आई डब्ल्यू टी सेवा और हल्दिया और बज बज के बीच पी ओ एल उत्पादों की ढुलाई।

(II) राजाबागान डाकयार्ड में आई डब्ल्यू

टी / अन्य जलयानों का निर्माण और उनकी मरम्मत और सामान्य इंजीनियरी कार्य।

(III) समुद्रगामी जलयानों की कलकत्ता में मरम्मत?

(ग) और (घ) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने आठवीं योजना अवधि में उपलब्ध वास्तविक और वित्तीय संसाधनों की सीमाओं के भीतर अपने कार्यकलापों का निर्वहन किया है।

विवरण

प्राधिकरण के कार्यकलाप:

निम्नलिखित कार्य कलापों के लिए संसद द्वारा इस प्राधिकरण को अवज्ञापित तथा अधिनियमित किया गया है:

1. नौवहन और नौचालन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग तथा सम्बद्ध भूमि के विकास, रख-रखाव और बेहतर उपयोग के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य करना तथा इस प्रयोजनार्थ स्कीम तैयार करना;

2. राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना अथवा उनकी स्थापना की अनुमति देना;

3. नौवहन और नौचलन की सुरक्षा और सुविधा तथा राष्ट्रीय जलमार्गों में सुधार के लिए सफाई संबंधी कार्य तथा नदी सुधार कार्य तथा अन्य आवश्यक कार्य करना;

4. राष्ट्रीय जलमार्गों अथवा उसकी सम्बद्ध भूमि में अथवा वहां से कचरा फैंकने, सामग्री फैंकने अथवा हटाने जैसे कार्यों पर नियंत्रण जिससे कुशल नौवहन और नौचालन मार्गों, नदी सुधार कार्यों तथा सफाई से संबंधित उपायों पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े;

5. अराष्ट्रीय जलमार्गों अथवा उससे सम्बद्ध भूमि से किसी प्रकार की रूकावट अथवा बाधा को हटाना जिससे सुरक्षित नौचालन, में रूकावट पैदा होती हो, आधारभूत सुविधाओं पर सुरक्षा अथवा सफाई उपायों को खतरा उत्पन्न हो;

6. राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौचालन और यातायात (सड़कों के नियमों सहित) का विनियमन;

7. राष्ट्रीय जलमार्गों पर उनके आर-पार अथवा नीचे किसी प्रकार के ढांचे के निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन को विनियमित करना;

8. राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में नौचालन संबंधी, मौसम संबंधी सूचना का प्रसार करना;

9. परिवहन के अन्य साधनों के साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन का समन्वय सुनिश्चित करना;

10. राष्ट्रीय जलमार्गों पर पायलटेज की स्थापना तथा रख-रखाव;

11. अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

12. परिवहन के अन्य साधनों के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन के समन्वय की दृष्टि से परिवहन संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना;

13. जलरशिक सर्वेक्षण करना और नदी चार्ट्स प्रकाशित करना;

14. अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास संबंधी स्कीमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के बारे में किसी राज्य सरकार के साथ परस्पर सहमत शर्तों पर उनकी सहायता प्रदान करना;

15. नौवहन और नौचालन अथवा उससे संबंधित किसी सुविधा के लिए जलमार्गों के आयोजना और विकास के बारे में भारत और विदेश में परस्पर सहमत शर्तों पर परामर्शी सेवाएं विकसित करना और इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाना;

16. अंतर्देशीय जल पविहन, जिसमें जलयान की डिजाइन विकसित करना, देशी जलयानों का यंत्रीकरण, टोवेज की विधि, उतराई और टर्मिनल सुविधाएं, पत्तन संस्थापना और सर्वेक्षण तकनीक शामिल हैं, संबंधी मामलों में अनुसंधान कार्य करना;

17. अंतर्देशीय जलमार्गों के वर्गीकरण के लिए मानक नियत करना;

18. अंतर्देशीय जल परिवहन कार्मिकों के लिए देश में तथा देश से बाहर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना;

19. ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक हों।